न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –81/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00432

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
—प्रार्थी.

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज देवीलाल धाकड मृतक जरिये का0मु0–
1/1 प्रहलाद आत्मज नन्दलाल
1/2 छोटूलाल आत्मज नन्दलाल
1/3 फूलचंद आत्मज नन्दलाल
1/4 मुकेश आत्मज नन्दलाल
1/5 सुरेश आत्मज नन्दलाल
1/6 शीलाबाई पुत्री नन्दलाल
2. किशनलाल आत्मज देवीलाल धाकड निवासी गुजरियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बावत् ।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार
2. श्री मोहन मेडतवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 25/03/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम गुजरियाखेडी के आराजी खसरा नम्बर 203/301 की रकबा 0.65 हे0, दिनांक 27.1.2011 को आवंटी अप्रार्थी को नन्दलाल, किशनलाल आत्मज देवीलाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी नन्दलाल फौत होने पर कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी से ली गई, कायम मुकामान रिकोर्ड पर लिये गये, अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मोहन मेडतवाल का वकालतनामा पेश हुआ, पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित । उभयपक्ष की वहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गुजरिया खेड़ी तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 0.65 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा नियम 14(4) आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा जो तथ्य अंकित किए है वे तथ्य रेवेन्यू रिकार्ड के सर्वथा विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है । खसरा गिरदावरी के आधार पर अप्रार्थीगण अलोटशुदा कृषि आराजी पर काबिज काश्त है तथा एलोटशुदा आराजी पर काबिज काश्त तत्समय से कर रहे है । खसरा नम्बर 203/301 की रकबा 0.65 हे0 कृषि आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा 14(4) नियम 1970 के तहत कार्यवाही की गई है । उक्त खसरा नम्बर 203/301 रकबा 0.65 हे0 पर नन्दलाल, किशनलाल के द्वारा संवत 2072, में सरसों सम्वत 2073 में मक्का, मूंगफली, गेहूं चना की फसल की है, सम्वत 2074 में गेहूं चना की फसल की है एवं सम्वत 2075 में उडद,मक्का, मूंगफली, गेहूं की फसल की है जिनका इन्द्राज खसरा गिरदावरियों में अंकित है खसरा गिरदावरी की प्रतियां संलग्न है । इसके साथ ही अप्रार्थी ने खसरा गिरदावरी संवत 2077, 2078, 2078, 2079 की प्रतियां प्रस्तुत की है जिसमें भी क्रमश मक्का,चना सरसो, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं सरसों, गेहूं की फसल बोना अंकित है तथा डीजल पम्पसेट भी सिंचाई हेतु लगाया हुआ है, वर्तमान में भी अप्रार्थीगण काबिज काश्त है । हल्का पटवारी रामगंजमण्डी द्वारा 19.2.2016 को जो रिपोर्ट पटवारी द्वारा दी गई है वह रेवेन्यू रिकार्ड खसरा गिरदावरी के विपरीत है । कुछ वर्षो में वर्षा की कमी के कारण काश्त करना सम्भव नहीं होने के कारण काश्त करना सम्भव नहीं था इसलिए नियम 14(4) नियम 1970 का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया ऐसा न्यायिक दृष्टान्त में कथन किया गया है ।

5. हमने पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गुजरियाखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 203/301 की रकबा 0.65 हे0, भूमि दिनांक 27.1.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त किया जावें । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नियमित कब्जा काश्त किया जा रहा है, कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी संवत 2072, में सरसों सम्वत 2073 में मक्का, मूंगफली, गेहूं चना की फसल की है, सम्वत 2074 में गेहूं चना की फसल की है एवं सम्वत 2075 में उडद,मक्का, मूंगफली, गेहूं की फसल की है तथा संवत 2077, 2078, 2078, 2079 की प्रतियां प्रस्तुत की है जिसमें भी क्रमश मक्का,चना सरसो, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं सरसों, गेहूं की फसल बोना अंकित है तथा डीजल पम्पसेट भी सिंचाई हेतु लगाया हुआ है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त की पुष्टि में प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों से कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है जिस अनुसार अप्रार्थी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा केवल एक खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 2071 की प्रस्तुत की है जिसमें भी काश्त होने का उल्लेख है फिर किस आधार पर यह प्रकरण प्रकरण प्रस्तुत किया स्पष्ट नहीं हो रहा है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्ण आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी के कब्जा काश्त नहीं करने के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 71 में क्रमशः धनियां मक्का, एवं सब्जियां फसल होना अंकित है तथा आगे के वर्षो की खसरा गिरदावरियां अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की है जिनमें नियमित काश्त होने की पुष्टि होती हैसाथ ही आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.11.2024 से प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी बत्तीलाल के वारिसान का ही कब्जा काश्त होना बताया है तथा वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 11.2.2017 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें आवंटी बद्रीलाल का नाम बत्तीलाल दुरूस्त किया गया है तथा यह प्रकरण दिनांक 10.8.2015 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में विचाराधीन था तो फिर आप द्वारा किस आधार पर बद्रीलाल को आवंटन भूमि को निरस्त कराने का यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनावश्यक न्यायालय का समय जाया किया है इस बाबत अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है तो सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रकरण पृथक से प्रस्तुत करें तथा यदि काश्त अन्य व्यक्तियों द्वारा की जा रही है तो उसका उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा